सं०एफ 10§1§-संस्था. III/88

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
....

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1992

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- समूह "ग" और समूह "घ" कर्मचारियों की सेवाकालीन उन्नति ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 13.9.91 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ मंत्रालय/विभाग या उनके नियंत्रणाधीन प्राधिकरण सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों के मामले में स्वस्थाने पदोन्नति की योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं । उनका यह कहना है कि इस योजना का लाभ समूह "ग" और "घ" के केवल उन मामलों में दिया जा रहा है जिनमें कोई पदोन्नति ग्रेड उपलब्ध नहीं हैं तथा जहां पर पदोन्नति ग्रेड हैं उन समूह "ग" और "घ" श्रेणियों के पदधारियों को स्वस्थाने पदोन्नति स्वीकार्य नहीं है ।

2. इस संदर्भ में पैरा 2§क§ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जो समूह "ग" और "घ" कर्मचारी §i§, §ii§और§iii§में उल्लिखित शर्तें पूरी करते हों, उन्हें अगले उच्चतर वेतनमान में स्वस्थाने पदोन्नति देने के बारे में विचार किया जाएगा । शर्त§iii§में यह है कि ऐसे कर्मचारी जो पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष बाद भी नियमित आधार पर पदोन्नत नहीं किए हों । इसमें पदोन्नति के अवसर होने वाले संवर्गों अथवा पदोन्नति के कोई भी अवसर न होने वाले संवर्गों पर लागू होने के बारे में कोई प्रतिबन्धात्मक धारा नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि समूह "ग" और "घ" की सेवाकालीन उन्नति की योजना दोनों तरह के पदधारियों अर्थात्§क§जिन पदों में पदोन्नति के कोई भी अवसर नहीं हैं, और§ख§ जिन पदों में पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं, पर लागू होती है बशर्ते इन पदों को धारण करने वाले कर्मचारी दिनांक 13.9.91 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तें पूरी करते हों ।

3. गृह मंत्रालय आदि को सलाह दी जाती है कि वे सभी पात्र समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों को स्वस्थाने पदोन्नति दिए जाने पर ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार विचार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें ।

§ वी०कुमार §
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय /विभाग ।
§सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित मानक डाक सूची के अनुसार ।

......